भारत सरकार
नागर विमानन मंत्रालय
राज्य सभा
लिखित प्रश्न संख्या : 653
सोमवार, 29 जुलाई, 2024 ((श्रावण 7, 1946, (शक))) को दिया जाने वाला उत्तर

घरेलू हवाई यात्रा किराए में वृद्धि

653. श्री बी. पार्थसारधी रेड्डीः

क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने घरेलू हवाई यात्रा के बढ़ते किराए को विनियमित या नियंत्रित करने के लिए कोई उपाय किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार की नागरिकों के लिए किफायती और सुलभ घरेलू हवाई यात्रा सुनिश्चित करने के लिए कोई दीर्घकालिक योजना है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुरलीधर मोहोल)

(क) से (घ): वर्तमान विनियमन के अनुसार, सरकार द्वारा हवाई किराए न तो निर्धारित और न ही विनियमित किए जाते हैं। मार्च 1994 में वायु निगम अधिनियम के निरसन के साथ ही सरकार द्वारा हवाई किराए के अनुमोदन की प्रक्रिया समाप्त हो गई है। विमान नियमावली, 1937 के नियम 135 के उप नियम (1) के प्रावधान के तहत, अनुसूचित हवाई सेवाओं में लगे प्रत्येक हवाई परिवहन उपक्रम को परिचालन की लागत, सेवाओं की विशेषता, उचित लाभ और आम तौर पर प्रचलित टैरिफ सहित सभी प्रासंगिक कारकों को ध्यान में रखते हुए टैरिफ निर्धारित करना आवश्यक है।

वैश्विक स्तर पर, अधिकांश देशों ने सरकार द्वारा लगाए गए प्रवेश और मूल्य संबंधी प्रतिबंध हटाते हुए अपने विमानन क्षेत्र को नियंत्रण मुक्त कर दिया है। विनियमन मुक्त होने से एयरलाइन वाहकों के बीच प्रतिस्पर्धा बढ़ गई है और इससे हवाई किराए में कमी आई है। विनियमन मुक्त होने के परिणामस्वरूप, एयरलाइन उद्योग में किसी संभावित एयरलाइन का प्रवेश आसान हो गया है, जिसके फलस्वरूप कई नई एयरलाइनें बाजार में प्रवेश कर रही हैं और इससे प्रतिस्पर्धा बढ़ रही है। विनियमन मुक्त होने का सीधा प्रभाव यह है कि कम आय वर्ग का यात्री हवाई यात्रा का खर्च उठा सकता है।

नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने एक टैरिफ निगरानी इकाई (टीएमयू) की स्थापना की है, जो मासिक आधार पर एयरलाइनों की वेबसाइटों का उपयोग करके यादृच्छिक आधार पर

चुनिंदा घरेलू सेक्टरों पर हवाई किराए की निगरानी करती है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि एयरलाइनें उनके द्वारा घोषित सीमा से बाहर हवाई किराया न वसूलें।

मंत्रालय एयरलाइनों के साथ विचार-विमर्श करता है और प्रतिनिधियों को स्व-विनियमन और हवाई किराए तय करते समय यात्रियों के हितों को ध्यान में रखने की सलाह दी जाती है।

एयरलाइनों को कीमतों को कम रखने और यात्रियों के हितों को ध्यान में रखने के लिए जागरूक भी किया गया है। एयरलाइनों ने यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्धता जताई है कि प्राकृतिक आपदाओं, विपत्तियों जैसी घटनाओं के दौरान हवाई किराए में उछाल न आए।

भारतीय विमानन उद्योग की जटिल गतिशीलता को देखते हुए, सरकार इस क्षेत्र के विकास में सहायता देने के लिए अनुकूल वातावरण का सृजन करके एक सुविधाप्रदाता की भूमिका निभा रही है।
